



आदिवासी आजीविका, रोजगार और कौशल विकास

डॉ. राकेश कुशवाहा

सहायक प्राध्यापक कला एवं वाणिज्य विभाग संत अलॉयसियस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एजुकेशन), गौर, जबलपुर

सारांश: प्रस्तुत शोध आलेख “आदिवासी आजीविका, रोजगार और कौशल विकास” का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की वर्तमान आजीविका संरचना, युवाओं के कौशल, प्रशिक्षण एवं रोजगार के मध्य संबंध तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित सतत एवं सम्मानजनक रोजगार की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। अध्ययन का क्षेत्र जबलपुर एवं आसपास के आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि, लघु वनोपज, पशुपालन, हस्तशिल्प, पारंपरिक कौशल तथा असंगठित श्रम आजीविका के प्रमुख आधार हैं। बदलती आर्थिक परिस्थितियों में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल तकनीक, उद्यमिता और बाजार संपर्क आदिवासी युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

अध्ययन में यह परीक्षण किया गया है कि कौशल प्रशिक्षण किस सीमा तक वास्तविक रोजगार, स्वरोजगार और आय-सृजन से जुड़ रहा है तथा प्रशिक्षण की बाजार-संगति में कौन-सी प्रमुख बाधाएँ विद्यमान हैं। साथ ही पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल की आर्थिक संभावनाओं, महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों तथा डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन का विश्लेषण किया गया है। सरकारी योजनाओं और वास्तविक लाभार्थी अनुभवों के मध्य अंतर को भी अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है।

अध्ययन के आधार पर “स्थानीय संसाधन-स्थानीय कौशल-स्थानीय रोजगार” पर आधारित समग्र विकास मॉडल प्रस्तावित किया गया है। इसमें कौशल विकास को मूल्य संवर्धन, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क, डिजिटल सशक्तीकरण, संस्थागत सहयोग और उद्यमिता से जोड़ने पर बल दिया गया है। निष्कर्षतः समुदाय की सहभागिता, महिला एवं युवा सशक्तीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित समन्वित मॉडल आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर, रोजगारपरक और सतत स्थानीय विकास को प्रभावी दिशा प्रदान कर सकता है।

शब्द कुञ्ज : आदिवासी आजीविका, कौशल विकास, रोजगार, पारंपरिक कौशल, स्थानीय संसाधन, उद्यमिता, महिला सशक्तीकरण, डिजिटल समावेशन, बाजार संपर्क, सतत विकास।

प्रस्तावना-

भारत की सामाजिक संरचना में आदिवासी समुदायों का विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है। आदिवासी समाज की आजीविका केवल आय अर्जित करने की आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वह प्राकृतिक संसाधनों, सामुदायिक जीवन, पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और स्थानीय पर्यावरण से जुड़ी हुई जीवन-व्यवस्था है।

वर्तमान समय में इस व्यवस्था पर अनेक संरचनात्मक परिवर्तन प्रभाव डाल रहे हैं। कृषि भूमि का सीमित आकार, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, बाजार की अस्थिरता, मौसमी रोजगार, प्रवासन, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक सीमित पहुँच और आधुनिक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी आदिवासी परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

दूसरी ओर, आदिवासी समुदायों के पास वन-आधारित उत्पाद, कृषि एवं जैविक उत्पादन, हस्तशिल्प, कला, लोकज्ञान, औषधीय वनस्पति संबंधी ज्ञान तथा विभिन्न पारंपरिक कौशल के रूप में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी उपलब्ध है।

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि आदिवासी युवाओं को कौन-सा प्रशिक्षण दिया जाए, बल्कि यह है कि—



स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल, उद्यमिता, तकनीक और बाजार से किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार का निर्माण हो सके?

भारत सरकार की जनजातीय आजीविका संबंधी नीतियों में भी मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क और सामुदायिक उद्यमिता पर बल दिया गया है। लघु वनोपज एवं जनजातीय उत्पादों की मूल्य श्रृंखला तथा विपणन को मजबूत करना है।

इसी प्रकार पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल को तकनीक और IT से जोड़कर आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने पर बल देता है।

आदिवासी युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार अवसरों की पहचान-

आदिवासी युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की पहचान करना उनके आर्थिक सशक्तीकरण और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबलपुर एवं आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और युवाओं की रुचि के आधार पर रोजगार के अनेक अवसर विकसित किए जा सकते हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन आधारित आजीविका के अंतर्गत महुआ, तेंदूपत्ता, आंवला, हर्रा, बहेरा, शहद और अन्य लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन से स्थानीय रोजगार सृजित हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बाँस एवं लकड़ी से हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, वस्त्र निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण तथा स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में इको-टूरिज्म, होम-स्टे, स्थानीय गाइड, लोककला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। डिजिटल कौशल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग भी नए विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इन अवसरों को कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क और उद्यमिता मार्गदर्शन से जोड़कर स्थानीय संसाधन आधारित टिकाऊ रोजगार मॉडल विकसित किया जा सकता है।

कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार के मध्य संबंध-

कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार के मध्य गहरा एवं प्रत्यक्ष संबंध है। वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक योग्यता रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है; उद्योग एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी आवश्यक हैं। कौशल प्रशिक्षण युवाओं को तकनीकी दक्षता, कार्य-कुशलता, समस्या-समाधान, संचार तथा उद्यमिता जैसे आवश्यक गुण प्रदान करता है। इससे उनकी रोजगार-योग्यता में वृद्धि होती है और वे उपलब्ध रोजगार अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते हैं।

हालाँकि, प्रशिक्षण और रोजगार के बीच प्रभावी संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय बाजार की वास्तविक मांग से जुड़े हों। यदि प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे कौशल सिखाए जाएँ जिनकी स्थानीय उद्योगों, कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, सेवा क्षेत्र तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में मांग है, तो प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए उद्योगों के साथ साझेदारी, अप्रेंटिसशिप, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता और नियमित कौशल मूल्यांकन आवश्यक हैं।

विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक एवं बाजार से जोड़कर रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। अतः कौशल प्रशिक्षण को केवल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया न मानकर प्रशिक्षण-दक्षता-रोजगार-आय की निरंतर प्रक्रिया के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इससे युवाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।



पारंपरिक कौशल के आर्थिक मूल्यांकन की संभावना-

पारंपरिक कौशल आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों की सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। हस्तशिल्प, बांस एवं लकड़ी शिल्प, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक वस्त्र निर्माण, लोककलाएँ, वन-आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण तथा पारंपरिक कृषि तकनीकें आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संभावनाएँ रखती हैं। इन कौशलों का व्यवस्थित आर्थिक मूल्यांकन करके इनके वास्तविक बाजार-मूल्य, उत्पादन लागत, आय-सृजन क्षमता और रोजगार की संभावनाओं को समझा जा सकता है।

पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल विपणन से जोड़ने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ सकते हैं। भौगोलिक संकेतक (GI), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। कौशल का आर्थिक मूल्यांकन केवल मौद्रिक आय तक सीमित न रहकर रोजगार सृजन, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे सामाजिक लाभों को भी शामिल करना चाहिए।

इस प्रकार पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार और कौशल-विकास कार्यक्रमों से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पलायन कम करने और आत्मनिर्भर आजीविका मॉडल विकसित करने की महत्वपूर्ण संभावना है।

महिलाओं की आजीविका एवं आर्थिक सहभागिता-

महिलाओं की आजीविका एवं आर्थिक सहभागिता समावेशी और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, घरेलू उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र के माध्यम से परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद उनके श्रम का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक और अवैतनिक होने के कारण आर्थिक रूप से पर्याप्त मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता। शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और बाजार तक सीमित पहुँच उनकी आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधाएँ हैं।

महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित किए जाने चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण, उद्यमिता और सामूहिक विपणन से जोड़ा जा सकता है। डिजिटल तकनीक एवं ई-कॉमर्स का प्रशिक्षण देकर उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों और वास्तविक रोजगार की आवश्यकताओं से जोड़ना आवश्यक है।

महिलाओं को संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, सरकारी योजनाओं और निर्णय-निर्माण में समान अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता न केवल परिवार की आय बढ़ाती है, बल्कि उनके सामाजिक सशक्तीकरण, आत्मविश्वास और जीवन-स्तर में भी सुधार करती है। अतः महिलाओं की आजीविका को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों की संभावना-

स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्यम आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय वृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में उपलब्ध वनोपज, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, बांस, लकड़ी, मिट्टी, औषधीय पौधे, महुआ, तेंदूपत्ता, शहद तथा स्थानीय खाद्य पदार्थ सूक्ष्म उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। यदि इन संसाधनों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन किया जाए, तो कच्चे माल के बजाय तैयार उत्पाद के रूप में अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर बांस शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, हस्तनिर्मित वस्तुएँ तथा लघु कृषि-आधारित व्यवसाय विकसित किए जा सकते हैं। स्वयं सहायता



समूहों, सहकारी समितियों और स्थानीय उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। डिजिटल तकनीक एवं ई-कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जा सकता है।

स्थानीय संसाधन आधारित उद्यम पलायन को कम करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने, पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल के संरक्षण तथा समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः स्थानीय संसाधनों की पहचान, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार-संपर्क को एकीकृत करके टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमिता मॉडल विकसित किया जाना चाहिए।

डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन-

डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन आधुनिक आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी, गरीब, महिलाओं तथा वंचित समुदायों को डिजिटल तकनीक और औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। बैंक खाते, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल भुगतान, आधार आधारित सेवाएँ, बीमा, पेंशन तथा ऋण सुविधाएँ इसके प्रमुख माध्यम हैं। डिजिटल तकनीक के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक सरल, सुरक्षित और कम लागत में पहुँच प्राप्त हो रही है।

आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन रोजगार, उद्यमिता और आजीविका के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और सूक्ष्म उद्यमियों को बैंक ऋण तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त हो सकता है। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और आर्थिक पारदर्शिता बढ़ती है।

हालाँकि, डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर धोखाधड़ी और तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियाँ अभी मौजूद हैं। अतः डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, बेहतर इंटरनेट सुविधा, वित्तीय जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रभावी डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन सामाजिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को मजबूत कर सकता है।

सरकारी योजनाएँ और वास्तविक लाभार्थी अनुभव-

सरकारी योजनाएँ सामाजिक एवं आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी, ग्रामीण, महिला, युवा तथा वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों तक आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ पहुँचाना है।

हालाँकि, योजनाओं के निर्धारित उद्देश्यों और वास्तविक लाभार्थियों के अनुभवों के बीच कई बार महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण योजनाओं की जानकारी का अभाव, जटिल आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की अनिवार्यता, डिजिटल साक्षरता की कमी, बैंकिंग संबंधी कठिनाइयाँ तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक विलंब हैं। कुछ लाभार्थियों को समय पर सहायता प्राप्त होती है, जबकि अन्य पात्र व्यक्ति प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाभ से वंचित रह जाते हैं।

वास्तविक लाभार्थी अनुभवों का अध्ययन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है। इसके लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार, समूह चर्चा तथा केस-स्टडी के माध्यम से लाभार्थियों की समस्याओं और संतुष्टि का आकलन किया जा सकता है। इससे योजना क्रियान्वयन की कमियों की पहचान होगी और पारदर्शिता, सरल प्रक्रिया, स्थानीय सहभागिता तथा प्रभावी निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार सरकारी योजनाओं को वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।



स्थानीय स्तर पर समग्र विकास मॉडल का निर्माण-

स्थानीय स्तर पर समग्र विकास मॉडल का उद्देश्य आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों की आजीविका, रोजगार, कौशल, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को एकीकृत रूप से बढ़ावा देना होना चाहिए। इसके लिए “स्थानीय संसाधन-स्थानीय कौशल-स्थानीय रोजगार” आधारित विकास मॉडल अधिक प्रभावी हो सकता है। मॉडल के प्रथम चरण में क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प तथा स्थानीय कौशल का सर्वेक्षण किया जाए। दूसरे चरण में युवाओं और महिलाओं की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

प्रशिक्षण को केवल प्रमाण-पत्र तक सीमित न रखकर उसे बाजार, वित्तीय सहायता और रोजगार से जोड़ा जाना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादन को संगठित किया जा सकता है। डिजिटल साक्षरता, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन को मजबूत किया जाए।

मॉडल में पंचायत, महाविद्यालय, स्थानीय उद्योग, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। प्रत्येक गतिविधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य, जिम्मेदारी और समय-सीमा निर्धारित हो। अंततः रोजगार सृजन, आय में वृद्धि, महिला सहभागिता, कौशल उपयोग और पलायन में कमी जैसे संकेतकों के आधार पर नियमित मूल्यांकन किया जाए। इस प्रकार स्थानीय संसाधनों और समुदाय की भागीदारी पर आधारित मॉडल आत्मनिर्भर, रोजगारपरक और सतत समग्र विकास का प्रभावी आधार बन सकता है।

आदिवासी परिवारों की वर्तमान आजीविका संरचना-

आदिवासी परिवारों की वर्तमान आजीविका संरचना बहुआयामी है, जिसमें पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों प्रकार के आर्थिक स्रोत शामिल हैं। ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक आदिवासी परिवार आज भी कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन, मजदूरी तथा स्थानीय हस्तशिल्प पर निर्भर हैं। लघु एवं सीमांत कृषि इनके आय-स्रोत का प्रमुख आधार है, जबकि महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौंजी, गोंद, शहद, बाँस तथा अन्य लघु वनोपज से मौसमी आय प्राप्त होती है। कृषि की अनिश्चितता तथा रोजगार के सीमित अवसरों के कारण निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी और अन्य असंगठित क्षेत्रों में श्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान समय में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सड़क, मोबाइल एवं डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से आदिवासी परिवारों की आजीविका में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग सरकारी एवं निजी रोजगार, स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय तथा कौशल-आधारित कार्यों की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं की सहभागिता स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यम, पशुपालन, हस्तशिल्प एवं वनोपज प्रसंस्करण में बढ़ी है।

फिर भी बाजार तक सीमित पहुँच, पूंजी का अभाव, कौशल-असंगति, बिचौलियों पर निर्भरता और रोजगार की मौसमी प्रकृति प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अतः वर्तमान आजीविका संरचना का अध्ययन स्थानीय संसाधनों, आय के स्रोतों, रोजगार-पैटर्न, लैंगिक सहभागिता और सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

आदिवासी युवा कौशल, प्रशिक्षण एवं रोजगार-

आदिवासी युवाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में पारंपरिक आजीविका के साथ-साथ आधुनिक रोजगार के अवसरों के लिए तकनीकी, व्यावसायिक एवं डिजिटल कौशल की आवश्यकता बढ़ रही है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि आदिवासी युवाओं को प्राप्त कौशल प्रशिक्षण किस सीमा तक उन्हें वास्तविक एवं स्थायी रोजगार से जोड़ पाता है।

अध्ययन में युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, पारंपरिक कौशल, प्रशिक्षण के प्रकार, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के बाद प्राप्त रोजगार की प्रकृति का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार, सूक्ष्म उद्यम अथवा प्रवासी रोजगार में कितने अवसर प्राप्त होते हैं।



प्रशिक्षण और रोजगार के बीच मौजूद प्रमुख बाधाओं, जैसे बाजार की जानकारी का अभाव, पूंजी की कमी, डिजिटल ज्ञान की कमी, परिवहन एवं मार्गदर्शन की सीमाएँ आदि का भी अध्ययन किया जाएगा।

अध्ययन से यह स्पष्ट करने का प्रयास होगा कि कौशल प्रशिक्षण को स्थानीय संसाधनों, बाजार की मांग और आदिवासी युवाओं की पारंपरिक दक्षताओं से जोड़कर रोजगारपरक बनाया जा सकता है। इससे युवाओं की आय, आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी कौशल एवं रोजगार मॉडल विकसित करने में सहायता मिलेगी।

कौशल प्रशिक्षण, रोजगार परकता एवं बाजार-संगति-

कौशल प्रशिक्षण की रोजगारपरकता एवं बाजार-संगति का परीक्षण यह समझने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को वास्तविक रोजगार एवं आय के अवसर किस सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं। इस अध्ययन में यह विश्लेषण किया जा सकता है कि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम स्थानीय एवं क्षेत्रीय श्रम-बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। विशेष रूप से आदिवासी युवाओं के संदर्भ में कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, निर्माण, सेवा क्षेत्र, डिजिटल कार्य तथा स्थानीय सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित कौशलों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षकों की दक्षता, व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने की अवधि जैसे संकेतकों को भी अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। साथ ही नियोक्ताओं, प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षित युवाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर कौशल एवं रोजगार के बीच मौजूद अंतर की पहचान की जा सकती है। अध्ययन यह भी परीक्षण करेगा कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार, उचित पारिश्रमिक और रोजगार में स्थायित्व प्राप्त हो रहा है या नहीं। इस प्रकार, अध्ययन का उद्देश्य प्रशिक्षण, कौशल, रोजगार, आय की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन कर बाजार-उन्मुख एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना होगा।

पारंपरिक कौशल एवं ज्ञान की आर्थिक संभावना-

पारंपरिक कौशल एवं ज्ञान आदिवासी समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार हैं। इनमें हस्तशिल्प, बांस एवं लकड़ी शिल्प, मिट्टी के उत्पाद, पारंपरिक कृषि, वनोपज संग्रहण, औषधीय पौधों का ज्ञान, लोककला, बुनाई, कढ़ाई तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक कौशल शामिल हैं। वर्तमान समय में इन कौशलों को केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने के बजाय आय एवं रोजगार के संभावित साधन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग पारंपरिक कौशल के व्यावसायीकरण की महत्वपूर्ण संभावना प्रस्तुत करती है। यदि इन उत्पादों को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जाए तो स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाई जा सकती है। स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां तथा सूक्ष्म उद्यम इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

पारंपरिक ज्ञान को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ई-कॉमर्स और सरकारी योजनाओं से जोड़ने से युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। साथ ही, बौद्धिक संपदा अधिकार और भौगोलिक संकेतक जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से समुदाय के ज्ञान और उत्पादों की सुरक्षा भी आवश्यक है। अतः पारंपरिक कौशल एवं ज्ञान का संरक्षण और आधुनिक बाजार से समन्वय आदिवासी क्षेत्रों में सतत आजीविका, उद्यमिता और समावेशी आर्थिक विकास का प्रभावी आधार बन सकता है।

आदिवासी आजीविका के सतत विकास हेतु विकास मॉडल-

स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास और आधुनिक बाजार व्यवस्था के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। इस मॉडल में आदिवासी समुदाय को विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर वनोपज, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, बांस-कला, लघु वनोपज एवं पारंपरिक कौशल का संसाधन मानचित्रण किया जाए। इसके आधार पर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।



मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण आधार मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क है। स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल विपणन को बढ़ावा देकर उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और उत्पादक संगठनों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

तीसरे स्तर पर डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन को मजबूत करते हुए बैंकिंग, बीमा, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं तक सरल पहुँच सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल-संरक्षण, जैविक खेती और वानिकी आधारित आजीविका को प्राथमिकता देकर पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए।

अंततः शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करते हुए ग्राम-आधारित सहभागी विकास मॉडल विकसित किया जाए। इससे आदिवासी परिवारों की आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा सतत एवं समावेशी स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

आदिवासी शिक्षा एवं कौशल विकास-

आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में शिक्षा और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न रहकर आदिवासी युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के अवसरों से जोड़ने का माध्यम बन सकती है। वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, आर्थिक कठिनाइयाँ, शिक्षकों की कमी, भाषा संबंधी बाधाएँ तथा उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

कौशल विकास के अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का समन्वय किया जाना चाहिए। कृषि, वनोपज प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, बांस एवं लकड़ी शिल्प, पशुपालन, डिजिटल सेवाएँ, पर्यटन तथा स्थानीय खाद्य उत्पादों से संबंधित प्रशिक्षण आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। प्रशिक्षण को बाजार की मांग से जोड़ना तथा प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट, ऋण, विपणन और उद्यमिता सहायता उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

महिलाओं और युवाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करके स्वयं सहायता समूहों एवं सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा कौशल, स्थानीय संसाधन, बाजार आधारित समन्वित मॉडल आदिवासी समुदायों के सतत आजीविका विकास और सामाजिक सशक्तीकरण का प्रभावी आधार बन सकता है।

उद्यमिता एवं मूल्य संवर्धन-

आदिवासी समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्यमिता एवं मूल्य संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर रोजगार और आय के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। वनोपज जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, आँवला, शहद, बाँस तथा औषधीय पौधों के केवल संग्रहण और विक्रय के बजाय उनकी प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन के माध्यम से अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आदिवासी हस्तशिल्प, बांस कला, मिट्टी के उत्पाद, वस्त्र, खाद्य पदार्थ और पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सकता है।

महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सुविधा तथा ऋण एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और उत्पादक संगठन सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम न केवल रोजगार सृजित करेंगे, बल्कि पलायन को भी कम करेंगे।

अतः कौशल, स्थानीय संसाधन, मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क, वित्तीय सहयोग पर आधारित उद्यमिता मॉडल आदिवासी आजीविका को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और बाजारोन्मुख बनाने का प्रभावी माध्यम हो सकता है।



बाजार संपर्क एवं संस्थागत सहयोग-

आदिवासी आजीविका एवं कौशल विकास को स्थायी और प्रभावी बनाने में बाजार संपर्क एवं संस्थागत सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं और उत्पादकों को उपयुक्त बाजार से जोड़ना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित हस्तशिल्प, वनोपज, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण एवं पारंपरिक वस्तुओं के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय तथा डिजिटल बाजार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण और ऑनलाइन विपणन का प्रशिक्षण देकर उनकी बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह (SHG), उत्पादक समूह, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, गैर-सरकारी संगठन, वित्तीय संस्थाएँ तथा सरकारी विभाग महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं। महाविद्यालय एवं कौशल प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को उद्यमिता, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ ऋण, कार्यशील पूंजी और वित्तीय परामर्श उपलब्ध करा सकती हैं।

संस्थागत सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षण, उत्पादन, वित्त, विपणन और रोजगार को एकीकृत किया जा सकता है। स्थानीय मेलों, हाट-बाजारों, प्रदर्शनियों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार बाजार संपर्क और संस्थागत समन्वय आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने, स्थानीय रोजगार सृजित करने तथा आत्मनिर्भर और सतत आजीविका विकसित करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

सतत एवं सम्मानजनक आजीविका-

सतत एवं सम्मानजनक आजीविका का अर्थ ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है, जिनसे आदिवासी परिवारों को नियमित आय प्राप्त होने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। आदिवासी समुदायों के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि, वनोपज, पशुपालन, हस्तशिल्प, मजदूरी तथा पारंपरिक कौशल पर आधारित होती है। इन क्षेत्रों को आधुनिक बाजार, तकनीकी प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग से जोड़कर आय के स्थायी स्रोत विकसित किए जा सकते हैं।

सतत आजीविका के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग आवश्यक है। लघु वनोपज जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, शहद, औषधीय पौधों तथा हस्तशिल्प उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग और स्थानीय पर्यटन रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

सम्मानजनक आजीविका केवल आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता और निर्णय लेने में सहभागिता भी शामिल है। महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन से जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक कौशल और बाजार संपर्क का समन्वय आदिवासी समुदायों के लिए सतत, स्वावलंबी एवं सम्मानजनक आजीविका का प्रभावी आधार बन सकता है।

निष्कर्ष-

आदिवासी विकास की वास्तविक चुनौती केवल गरीबी अथवा बेरोजगारी को कम करना नहीं है, बल्कि ऐसी विकास-व्यवस्था निर्मित करना है जिसमें स्थानीय समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कौशल के आधार पर सम्मानजनक एवं स्थायी आजीविका विकसित कर सके। जबलपुर एवं आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में आजीविका, रोजगार और कौशल विकास को एक-दूसरे से पृथक करके देखने के बजाय इनके अंतर्संबंधों को समझना अधिक उपयोगी होगा। इस दृष्टि से प्रस्तुत समग्र विकास मॉडल स्थानीय संसाधन, कौशल, उद्यमिता, मूल्य संवर्धन, बाजार, वित्तीय / डिजिटल समावेशन, रोजगार, सतत आजीविका की एकीकृत प्रक्रिया पर आधारित है। यह मॉडल आदिवासी समुदायों को सरकारी योजनाओं के निष्क्रिय लाभार्थी से सक्रिय आर्थिक भागीदार में परिवर्तित करने की दिशा में उपयोगी हो सकता है।



अतः आदिवासी विकास की सफलता का मूल्यांकन केवल आय में वृद्धि से नहीं, बल्कि आजीविका की स्थिरता, रोजगार की गुणवत्ता, कौशल की उपयोगिता, महिला सहभागिता, सामाजिक समावेशन, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के संयुक्त आधार पर किया जाना चाहिए।

संदर्भित ग्रन्थ:

- [1] उप्रेती, ह. (2000). भारतीय जनजातियाँ: संरचना एवं विकास. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी
- [2] चौधरी, श्याम नंदन (सम्पा.). (2012). आदिवासी विकास: उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ (खंड 1). कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
- [3] द्विवेदी, ह., एवं डेहरिया, अ. (2020). मध्यप्रदेश में जनजातियों का विकास एवं संवैधानिक संरचना. वॉलनट पब्लिकेशन।
- [4] गुप्ता, र. (2019). आदिवासी: विकास से विस्थापन. राधाकृष्ण प्रकाशन।
- [5] गुप्ता, र. (2008). आदिवासी साहित्य-यात्रा. राधाकृष्ण प्रकाशन।
- [6] पाठक, अ. कु. (n.d.). थारु जनजाति की सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनशीलता एवं संविकास. ई-पुस्तकालय अभिलेख।
- [7] प्रसाद, अ. (2024). जनजातीय समाज और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
- [8] पटनी, स. ला. (1978). आबू क्षेत्र के आदिवासी. आशुतोष प्रकाशन।
- [9] गुप्ता, र. (2022). आदिवासी कौन. राधाकृष्ण प्रकाशन।
- [10] चौधरी, ब. (सम्पा.). (1990). भारत में जनजातीय विकास: समस्याएँ एवं संभावनाएँ [Tribal Development in India: Problems and Prospects]. इंटर-इंडिया पब्लिकेशन्स।